राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या— 2396/2016/जयपुर

2. अपील संख्या— 2397 / 2016 / जयपुर

3. अपील संख्या— 2398/2016/जयपुर

अपील संख्या— 2399 / 2016 / जयपुर

कमल स्पॉज स्टील एण्ड पावर लि0, ए—160, रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया एक्सटेंशन, फेज–द्वितीय, बगरू, जयपुर। बनाम

...अपीलार्थी

सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान वृत्त—प्रथम, जयपुर।

...प्रत्यर्थी

खण्डपीठ श्री मदन लाल, सदस्य श्री राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एस.के.जैन, अधिकृत प्रतिनिधि श्री आर.के.अजमेरा, उप राजकीय अभिभाषक

....अपीलार्थी की ओर से

...प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 22.03.2017

निर्णय

1. यह चारों अपीलें अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान वृत्त प्रथम, जयपुर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेशों दिनांक 04.07.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिनमें केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 9 सपठित राज. मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 25, 55 व 61 के तहत पारित आदेशों द्वारा निम्न तालिकानुसार मांगे सृजित की गई है। जिनको अपीलार्थी द्वारा अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष विवादित किया गया है।

अपील सं.	क.नि.वर्ष	कर	ब्याज	शास्ति	कुल विवादित राशि
2396 / 16	2010-11	10,59,637	7,32,089	21,19,274	39,11,000
2397 / 16	2011-12	45,17,882	25,75,354	90,35,764	1,61,29,000
2398 / 16	2012-13	1,79,52,635	80,79,095	3,59,05,270	6,19,37,000
2399/16	2013-14	66,73,328	22,03,016	1,33,46,656	2,22,23,000

- 2. इन सभी प्रकरणों के तथ्य एवं विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनको एक ही आदेश से निर्णित किया जा रहा है, निर्णय की मूल प्रति प्रत्येक पत्रावली पर रखी जा रही है।
- 3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 30.08.2013 को व्यहारी फर्म के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण उपायुक्त (प्रशासन) प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक 60 दिनांक 30.08.2013 की अनुपालना में सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रथम, प्रतिकरापवंचन—राजस्थान, वृत प्रथम, जयपुर द्वारा किया गया। अधिनियम की धारा 75(4) के तहत व्यवसाय स्थल से कुछ दस्तावेजात व पेन ड्राइव कुल नग 4 सत्यापन के अभाव में अभिग्रहित किये गये। अधिनियम की धारा 75(1) के अंतर्गत जारी नोटिस की पालना में व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, लेखा पुस्तकों आदि की जांच पर पाया गया कि व्यवहारी द्वारा राज्य के बाहर विभिन्न एजेन्टों के साथ कन्साईनमेंट सेल्स एग्रीमेंट किये जाकर माल का प्रेषण कन्साईनमेंट सेल प्रदर्शित कर किया गया है। जांच पर पाया गया कि विभिन्न


22/03/17

लगातार.....

ग्राहकों से प्राप्त क्रय आदेश के अनुरूप माल का प्रेषण विभिन्न ऐजेन्टों को किया जाकर ऐसे संव्यवहारों को कन्साईन्मेंट सेल प्रदर्शित किया गया है। कन्साईन्मेंट सेल के रूप में अभिकर्ताओं को प्रेषित माल का विक्रय अभिकर्ताओं द्वारा यथारूप में ही विभिन्न क्रेताओं से पूर्व में प्राप्त क्रय आदेशों के अनुसरण में किया गया है, जिन संव्यवहारों को कन्साईन्मेंट सेल के संव्यवहार न मानते हुए अन्तर्राज्यीय बिक्री के संव्यवहार हैं। बाद जांच अभियोजन अधिकारी द्वारा पाया गया कि व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधियों में विभिन्न राज्यों के विभिन्न अभिकर्ताओं को प्रेषित माल को कन्साईन्मेंट सेल प्रदर्शित किया है, जबिक पूर्व में प्राप्त क्रय आदेशों के अनुसरण में प्रेषित माल अंतर्राज्यीय विक्रय के संव्यवहार हैं।

अभियोजन अधिकारी द्वारा अभियोग के साथ पत्राविलयां आयुक्त के परिपत्र प. 3(ए)(10)ज्यूरिस/कर/आयुक्त/97/2261 दिनांक 31.03.2011 की पालना में एवं उपायुक्त (प्रशासन) प्रतिकरापवंचन—राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक 4767 दिनांक 11.12.2015 के फलस्वरूप पत्राविलयां कर निर्धारण अधिकारी को प्राप्त हुई। प्रकरणों में व्यवहारी द्वारा अन्तर्राज्यीय संव्यवहारों को कन्साईनमेंट सेल के संव्यवहार दर्शाते हुए देय कर का परिर्वजन किया है। जिससे सीएसटी की धारा 9 सपित वेट एक्ट की धारा 25, 55 व 61 के तहत कार्यवाही करते हुए उपरोक्त तालिकानुसार कर, ब्याज एवं शास्तियों का आरोपण किया गया। उक्त आदेशों से व्यथित होकर व्यवहारी द्वारा यह अपीलें कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

- 4. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।
- व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि उनके द्वारा "एफ" फार्म के समर्थन में माल प्रेषित किया गया है, जो कि अन्तर्राज्यीय बिक्री की परिभाषा में नहीं आता है, बिल्क स्टॉक ट्रांसफर की परिभाषा में आता है। व्यवहारी पर किसी भी प्रकार का कोई कर दायित्व नहीं बनता है। कर निर्धारण अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए अपने आदेश पारित किये है, जबकि उनके द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष विभाग द्वारा जारी किये गये "एफ" फार्म की सूचियां एवं अपने समस्त अभिलेख प्रस्तुत कर दिये थे, उक्त समस्त दस्तावेजों को नजरअंदाज करते हुए विद्वान अधिकारी ने एकपक्षीय आदेश जारी करते हुए करारोपण किये है, जो अनुचित एवं अविधिक है। अपने तर्कों के समर्थन में उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.01.2004 सिविल अपील संख्या 943, 944 / 2001 अशोक लिलेड लि0 बनाम तमिलनाडू सरकार, सिविल अपील संख्या 2105 एवं 2106 / 1969 टाटा इंजिनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी लि0 बनाम सहायक आयुक्त निर्णय दिनांक 02.03.1970, सिविल अपील संख्या 449-454/1971 एवं 888-890/1974 निर्णय दिनांक 09.12.1975 बालाबक्श हुलासचंद बनाम उडीसा सरकार, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एसबी सिविल सेल्स टैक्स रिवीजन पिटीशन 155 एवं 160 / 2006 बीकानेर वूलन्स मिल्स प्रा० लि० बनाम सहायक आयुक्त निर्णय दि. 28.01.2016, एसबी सिविल सेल्स टैक्स रिवीजन पिटीशन 298/2011 सहायक आयुक्त बनाम अल्फा वोवेन लेबल्स (इण्डिया) प्रा०लि० निर्णय दिनांक 13.04.2016 तथा राजस्थान कर बोर्ड द्वारा पारित अपील संख्या 1684/2013/सीकर निर्णय दिनांक 25.07.2014 सीटीओ बनाम एमीनेन्ट कम्यूनिकेशनस प्रा०लि० आदि प्रस्तुत किये। अतः उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों को अपास्त करते हुए प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार करने का निवेदन किया।



🖍 लगातार.....3

- 6. विद्धान उप-राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों का समर्थन किया एवं तर्क दिया कि व्यवहारी द्वारा कपटपूर्वक तरीके से मिथ्या consignment sale प्रदर्शित किया है। व्यवहारी द्वारा विवादित अविधयों में मिथ्या घोषित consignment sale कें0वि0क0अ0, 1956 की धारा 3 के तहत अन्तर्राज्यीय व्यापार के क्रम में किया गया विक्रय प्रमाणित होता है। व्यवहारी द्वारा कें0वि0क0अ0, 1956 की धारा 6ए में कपटपूर्वक क्लेम किये गये consignment sale को अस्वीकार करते हुए 5 प्रतिशत की दर से करारोपण किया गया है, जो उचित प्रतीत होता है। उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों को न्यायोचित बतलाते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार करने का निवेदन किया।
- 7. उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं रिकॉर्ड पत्रावली का परिशीलन किया गया। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत Consignment Sale सम्बन्धित दस्तावेजों यथा Agreements, Agreements की शर्ते एवं अभिकर्ता को माल के प्रेषण का प्रारूप, अभिकर्ता द्वारा माल प्राप्ति अनुसार तैयार सेल पट्टी का अध्ययन एवं विश्लेषण किया गया। व्यवहारी द्वारा विभिन्न अन्य व्यवहारियों के साथ किये गये Consignement Agreemets की प्रतियां प्रस्तुत की गई। करारों में स्पष्टतः उल्लेखित किया गया है कि :—

".......The agent will not be entitled for any other sales commission, reimbursement of expenses etc. Whatsoever except of aforesaid commission or Rs. 100/- PMT in respect of agency sales.

.....the agent will claim reimbursement of the transit freight insurance and or any

other related costs directly from the consignee."

इस क्रम में जांच अधिकारी द्वारा व्यवहारी के प्रतिनिधि से जानकारी लेने पर स्वयं उनके द्वारा बताया गया कि माल के तैयारी का ऑर्डर फोन पर दिया जाता था एवं इसके अनुरूप ही माल प्रेषित किया जाता था। कन्साइन्मेंट हेतु प्रेषित माल से सम्बन्धित समस्त खर्चे यथा माल भाडा, लोडिंग—अनलोडिंग, भण्डारण एवं रास्ते का इन्श्योरेन्स आदि करारों की शर्तों के अनुसरण में अभिकर्ता द्वारा ही वहन किये जाते रहे है। इस संबंध में व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत सेल पट्टी का विश्लेषण करने पर स्पष्टतः प्रकट होता है कि व्यवहारी द्वारा पहले विभिन्न ग्राहकों से माल का ऑर्डर लिया जाता है एवं उसी के अनुरूप माल तैयार करके प्रेषित किया जाता है, जिसे अन्य राज्यों / स्थानों पर तथाकथित रूप में विहित कन्साइनी द्वारा यथारूप विक्रय कर दिया जाता है।

इस सम्बन्ध में केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के सुसंगत प्रावधानों एवं माननीय न्यायलायों द्वारा इस विषय में पारित निर्णयों का अध्ययन किया जाना उचित होगा। केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 में ब्रान्च ट्रान्सफर से सम्बन्धित प्रावधान निम्नानुसार है –

CHAPTER III

INTER-STATE SALES TAX 6.

Liability to tax on inter-State sales -

6.A Burden of proof, etc. in case of transfer of goods claimed otherwise than by way of sale -

(1) Where any dealer claims that he is not liable to pay tax under this Act, in respect of any goods, on the ground that the movement of such goods from one State to another was occasioned by reason of transfer of such goods by him to any other place of his business or to his agent or principal, as the case may be and not by reason of sale, the burden of proving that the movement of those goods was so occasioned shall be on that dealer and for this purpose he may furnish to the assessing authority, within the prescribed time or within such further time as that authority may, for sufficient cause, permit, a declaration, duly filled and signed by the principal officer of the other place of business, or

animitud, 2



his agent or principal, as the case may be, containing the prescribed particulars in the prescribed from obtained from the prescribed authority, along with the evidence or dispatch of such goods and if the dealer fails to furnish such declaration, then, the movement of such goods shall be deemed for all purposes of this Act to have been occasioned as a result of sale.

(2) If the assessing authority is satisfied after making such inquiry as he may deem necessary that the particulars contained in the declaration furnished by a dealer under sub-section (1) [are true and that no inter-state sale has been effected, he may, at the time of, or at any time before, the assessment of the tax payable by the dealer under this Act, make an order to that effect and thereupon the movement of goods to which the declaration relates shall, subject to the provisions of sub-section (3)] be deemed for the purpose of this Act to have been occasioned otherwise than as a result of sale.

Explanation - In this section, "assessing authority", in relation to a dealer, means the authority for the time being competent to assess the tax payable by the dealer under this Act.

इसी के सुसंगत प्रावधान THE CENTREAL SLAES TAX (REGISTRATION AND TURNOVER) RULES, 1957 में निम्नानुसार हैं –

Rule 12 of THE CENTERAL SALES TAX (REGISTRATION AND TURNOVER) RULES, 1957

(5) The declaration referred to in sub-section (1) of section 6A shall be in Form

Provided that a single declaration may cover transfer of goods, by a dealer, to any other place of his busines or to his agent or principal, as the case may be, effected during a period of one calendar month:

Provided further that if the space provided in Form F is not sufficient for making the entires, the particulars specified in Form "F" may be given in separate annexures attached to that form so long as it is indicated in the form that the annexures form part thereof and every such annexure is also signed by the person signing the declaration in Form F:

Provided further that Form F in force beforr the commencement of the Central Sales Tax (Registration and Turnover) (Second Amendment) Rules, 1973 may continue to be used up to 31st day of "December, 1980" with suitable modifications.)

उक्त प्रावधानों में स्पष्टतः अंकित है कि व्यवहारी को माल के कन्साइन्मेन्ट विक्रय प्रमाणित करने के लिये मात्र Form-F प्रस्तुत करना ही पर्याप्त नहीं है वरन इसके साथ माल के वास्तविक परिवहन सम्बन्धित अनुषांगिक दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इस सम्बन्ध में व्यवहारी को सुनवायी एवं दस्तावेज उपलब्ध कराने का पर्याप्त विधिक अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है जिससे व्यवहारी प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना में आवश्यक दस्तावेजात कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सके।

प्रकरण के तथ्यों पर आधारित माननीय न्यायालयी निर्णयों का भी ससम्मान अध्ययन किया गया। कतिपय उल्लेखनीय निर्णय निम्नानुसार है :-

1. The Honourable Supreme Court in the case between U.O.I. Vs K.G. Khosla & Co. (1979) 43 STC 457 (SC), held that it is an Inter-State sale from one State to other if movement of the goods from one State has cuased in pursuance to an agreement and indidental to the contract of sale. Thus, it is not necessary that sale must precede movement of goods or the fact of movement of goods or the facts of movement of goods is mentioned in teh agreement. Meaning thereby even an agreement to sell may also now result in calssification of such stock transfer as "inter-state sales" and not "branch transfer" which resulted in movement of goods from one state to another (even before the date of sales). Where there is a positive case of inter-state sales, even if the dealer had procured F From, the decalaration from would be of no avail. (Para 18). It 2. July

does not change the character of the transaction. (Para 31). In this case Hon'ble Apex Court also discussed about - where after transfer made to branch, the goods are sold to very few particular dealers, stock balance generally remains ZERO Direct nexus bwtween stock transfer and sale of goods and in such cases the transactions were held as Inter State Sales.

- 2. HYDERABAD ENGG. (SC) CIVIL APPEAL NO. 3781 OF 2003 The SC held that following cases are covered under "inter state sales" (Para 32)
- (a) "Sale" or "agreement to sell" occasions movement of goods from one state to another (irrespective of whether such movement has been provided in the agreement)
- (b) order placed before HO or branch resulted in movement of goods from one state to another (irrespective of state where property in goods passes)
- 3. Honourable Supreme Court in the case of Bhopal Sugars Industries Ltd. Vs STO, (1977) 40 STC 42 (SC),- the terms of the agreement, intention of the parties and dealings between them will determine the nautrue of transaction whether the transaction is a sale or transfer to an agent.

घोषणा प्रपत्र एफ के विरूद्ध स्थानान्तरित होने वाले स्टॉक की बिक्री के पश्चात जांच का महत्वपूर्ण बिन्दू यह है कि विक्रेता व्यवहारी द्वारा प्रेषित की जाने वाली बिक्री पट्टी में अपना कमीशन क्लेम किया गया है या नहीं, हैण्डलिंग खर्चों का भुगतान किसके द्वारा किया गया है, ट्रांसपोर्ट को बिल्टी भाडा का भुगतान किसके द्वारा किया गया है आदि महत्वपूर्ण एवं अहम साक्ष्य होते है।

परिणामस्वरूप व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलें आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाते है एवं उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे प्रकरणों में प्रस्तुत न्यायिक व्यवस्थाओं को मध्यनजर रखते हुए विधिक तथ्यों, प्रस्तुत एफ फार्म्स, बिक्री पट्टी तथा प्रक्रियाओं को मध्यनजर रखते हुए, अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, अपना विस्तृत आदेश पारित करें। साथ ही अपीलार्थी व्यवहारी को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 22.06.2017 को दस्तावेजातों के साथ कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें।

निर्णय सुनाया गया।

राजीव चौधरी)

सदस्य

(मदन लाल) भटन्य